संख्या-01 /2016/2736 ई-2/तेरह-2016-57/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी,2017

विषय:-मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि0 (केमिकल डिवीजन) ए यूनिट ऑफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, दतौली, मनकापुर, गोण्डा को वर्ष में आसवनी कार्य दिवस 300 दिन से बढाकर 330 दिन एवं अधिष्ठापित क्षमता 300 लाख लीटर वार्षिक से बढाकर 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-111/दो-प्रा0डी0-102, दिनांक 13 दिसम्बर,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 दिसम्बर,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि0 (केमिकल डिवीजन) ए यूनिट ऑफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, दतौली, मनकापुर, गोण्डा को वर्ष में 300 दिन के स्थान पर 330 दिन आसवनी संचालित करने एवं अधिष्ठापित क्षमता 300 लाख लीटर वार्षिक से बढाकर 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा श्रम विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।